संख्या- 82/2025/1277/छप्पन-2025-31/2016(Road)

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 18 सितम्बर, 2025

विषय: नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सहायक मार्ग एवं विशिष्ट व्यक्तियों की निकासी हेतु मार्ग निर्माण में ग्राम-बीरमपुर देहात एवं बीरमपुर के निजी नलकूप को पोषित करने वाले विद्युत विभाग की परिसम्पत्ति 11 केवी के पोषक के विस्थापन में निहित व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 132/ना0उ0नि0-2025-ए.एफ.-116/2016 दिनांक 06 अगस्त, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नोडल अधिकारी/ विशेष कार्याधिकारी, नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0, गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या-वाई0ई0ए0/वि/यॉ-02/825/2025 दिनांक 23 मई, 2025 के क्रम में नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सहायक मार्ग एवं विशिष्ट व्यक्तियों की निकासी हेतु मार्ग निर्माण में विद्युत विभाग की परिसम्पत्तियों के विस्थापन में निहित व्यय रू0 49,30,153/- (रू0 35,31,427/- + रू0 13,98,726/-) (रूपए उन्चास लाख तीस हजार एक सौ तिरपन मात्र) के वहन के सम्बन्ध में निर्णय कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सहायक मार्ग एवं विशिष्ट व्यक्तियों की निकासी हेतु मार्ग निर्माण में ग्राम-बीरमपुर देहात एवं बीरमपुर के निजी नलकूप को पोषित करने वाले विद्युत विभाग की परिसम्पत्ति 11 केवी के पोषक के विस्थापन में निहित व्यय रू0 35,31,427/- (रूपए पैंतीस लाख इक्कतीस हजार चार सौ सत्ताईस मात्र) का वहन किए जाने पर अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त धनराशि में से NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5% के अनुसार रू0 13,24,285/- (रूपए तेरह लाख चौबीस हजार दो सौ पचासी मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ सम्पूर्ण धनराशि रू0 13,24,285/- (रूपए तेरह लाख चौबीस हजार दो सौ पचासी मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही करना सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सहायक मार्ग एवं विशिष्ट व्यक्तियों की निकासी हेतु मार्ग निर्माण में ग्राम-बीरमपुर देहात एवं बीरमपुर के निजी नलकूप को पोषित करने वाले विद्युत विभाग की परिसम्पत्ति 11 केवी के पोषक के विस्थापन में निहित व्यय रू0 35,31,427/- (रूपए पैंतीस लाख इक्कतीस हजार चार सौ सत्ताईस मात्र) में से NIAL के शेष अंशधारकों यथा- नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भी अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 13,24,285/- (रूपए तेरह लाख चौबीस हजार दो सौ पचासी मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निर्वतन पर रखी जायेगी। कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा सम्बन्धित को यथा आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

4- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा लेखा शीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: E-7-50-X-2025-26-दिनांक: 18-9-2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 82/2025/1277(1)/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सन्दर्भगत प्रकरण में वांछित धनराशि रू0 35,31,427/- में से NIAL में अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

7- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

8- विशेष कार्याधिकारी/नोडल अधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0, गौतमबुद्धनगर को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 23 मई, 2025 के सन्दर्भ में।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.

10- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।